

सं०सं०-म०नि०-II-उप यो०- 86/2021-22/..... 49 रा० (वि०)

झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी०, मा० प्र० से०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची/दिनांक 23-03-2023

विषय-

केन्द्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40)" के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में निर्गत स्वीकृत्यादेशों के द्वारा स्वीकृत भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के क्रम में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में विमुक्त केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश सहित कुल राशि मो० 3031.45 लाख (तीस करोड़ इकत्तीस लाख पैंतालीस हजार) रु० मात्र के व्यय एवं योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा चालू केन्द्र प्रायोजित योजना "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40)" के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्गत स्वीकृत्यादेश सं० 49 रा० (वि०) दिनांक 31.03.2021, वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्गत स्वीकृत्यादेश सं० 18 रा० (वि०) दिनांक 03.09.2021, स्वीकृत्यादेश सं० 40 रा० (वि०) दिनांक 17.02.2022 एवं स्वीकृत्यादेश सं० 57 रा० (वि०) दिनांक 31.03.2022 के द्वारा स्वीकृत भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के क्रम में भारत सरकार द्वारा विमुक्त केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश की राशि मो० 3031.45 लाख (तीस करोड़ इकत्तीस लाख पैंतालीस हजार) रु० मात्र के व्यय एवं योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना अंतर्गत पूर्व एवं चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत परियोजनाओं में अपने अंशदान की अगली किस्त की राशि कुल मो० 2544.05 लाख (पच्चीस करोड़ चौवालीस लाख पाँच हजार) रु० निम्न प्रकार विमुक्त की गई है -

(क) भारत सरकार के F.No. J-01011/1/2020-Fy दिनांक 11.03.2023 (सामान्य एवं महिला कोटि)
(Rs. in lakh)

| Sl. No. | Financial Year | Name of the Project | GENERAL + WOMEN Category | | | |
|---------|----------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
| | | | Admn. Approval | Earlier Release by Gol | Current Release by Gol | Central share yet to be released |
| 1 | 2020-21 | Fisheries Developmental proposal of Government of Jharkhand approved vide order of even no. dated 5 th January, 2021 | 1872.43 | 936.21 | 590.73 | 345.49 |
| 2 | 2020-21 | Fisheries Developmental proposal of Government of Jharkhand approved vide order of even no. dated 23 rd March, 2021 | 437.10 | 218.55 | 218.55 | 0.00 |
| 3 | 2021-22 | Fisheries Developmental proposal of Government of Jharkhand approved vide order of even no. dated 28 th September, 2021 | 2782.06 | 695.50 | 695.50 | 1391.06 |
| 4 | 2022-23 | Fisheries Developmental proposal of Government of Jharkhand approved vide order of even no. dated 11 th August, 2022 | 2028.274 | 0.00 | 507.07 | 1521.2055 |
| Total : | | | 7119.864 | 1850.26 | 2011.85 | 3257.7555 |

(ख) भारत सरकार के F.No. J-01011/1/2020-Fy दिनांक 11.03.2023 (अनुसूचित जनजाति कोटि)

(Rs. in lakh)

| Sl. No. | Financial Year | Name of the Project | ST Category | | | |
|---------------|----------------|--|----------------|------------------------|------------------------|---|
| | | | Admn. Approval | Earlier Release by Gol | Current Release by Gol | Central share yet to be released by Gol |
| 1 | 2020-21 | Fisheries Developmental proposal of Government of Jharkhand approved vide order of even no. dated 5th January, 2021 | 368.46 | 368.46 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2020-21 | Fisheries Developmental proposal of Government of Jharkhand approved vide order of even no. dated 23rd March, 2021 | 86.76 | 86.76 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2021-22 | Fisheries Developmental proposal of Government of Jharkhand approved vide order of even no. dated 28th September, 2021 | 906.16 | 226.60 | 226.60 | 452.96 |
| 4 | 2022-23 | Fisheries Developmental proposal of Government of Jharkhand approved vide order of even no. dated 11th August, 2022 | 585.54 | 0.00 | 146.38 | 439.16 |
| Total: | | | 1946.92 | 681.82 | 372.98 | 892.12 |

(ग) भारत सरकार के F.No. J-01011/1/2020-Fy दिनांक 11.03.2023 (अनुसूचित जाति कोटि)

(Rs. in lakh)

| Sl. No. | Financial Year | Name of the Project | SC Category | | | |
|----------------------|----------------|--|------------------|------------------------|------------------------|---|
| | | | Admn. Approval | Earlier Release by Gol | Current Release by Gol | Central share yet to be released by Gol |
| 1 | 2020-21 | Fisheries Developmental proposal of Government of Jharkhand approved vide order of even no. dated 5th January, 2021 | 397.31 | 397.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2020-21 | Fisheries Developmental proposal of Government of Jharkhand approved vide order of even no. dated 23rd March, 2021 | 75.06 | 75.06 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2021-22 | Fisheries Developmental proposal of Government of Jharkhand approved vide order of even no. dated 28th September, 2021 | 350.15 | 87.50 | 87.49 | 175.16 |
| 4 | 2022-23 | Fisheries Developmental proposal of Government of Jharkhand approved vide order of even no. dated 11th August, 2022 | 286.92 | 0.00 | 71.73 | 215.19 |
| Total : | | | 1109.44 | 559.87 | 159.22 | 390.35 |
| Grand Total : | | | 10176.224 | 3091.95 | 2544.05 | 4540.2255 |

3. उपर्युक्त कंडिका-2 की तालिकाएँ क्रमांक -क, ख तथा ग की उपकंडिका-4 में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विमुक्त राशि से संबंधित स्वीकृत्यादेश संख्या-22 रा0(वि0) दिनांक 07.11.2022 भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक अनुमोदन सं0 पत्रांक j-01011/1/2020-Fy दिनांक 11.08.2022 के आलोक में पूर्व से निर्गत है।

4. इस योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल मो0 4992.00 लाख रुपये का संशोधित योजना उद्व्यय एवं समतुल्य बजट उपबंध प्राप्त है। स्वीकृत्यादेश सं0 15 रा0(वि0) दिनांक 26.07.2022 तथा स्वीकृत्यादेश सं0 22 रा0(वि0) दिनांक 07.11.2022 द्वारा उपयोग किए गए बजट उपबंध एवं अवशेष बजट उपबंध तथा चालू वित्तीय वर्ष में भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश मद में

विमुक्त राशि तथा समानुपातिक स्वीकृत राज्यांश का व्यय निम्न लघु शीर्षों में प्राप्त बजट उपबंध के अंतर्गत किया जाएगा -

माँग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)
मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन अन्तर्गत उप शीर्ष-77-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

(राशि लाख ₹0 में)

| क्रम0 | विस्तृत शीर्ष | कुल बजट उपबंध | संशोधित बजट उपबंध | स्वीकृत्यादेश सं0 15 रा0 (वि0) दिनांक 26.07.2022 द्वारा मछुआरों के बीमा हेतु स्वीकृत राशि | स्वीकृत्यादेश सं0 22 रा0 (वि0) दिनांक 07.11.2022 द्वारा स्वीकृत राशि | वर्तमान स्वीकृत्यादेश से स्वीकृत राशि | अवशेष बजट उपबंध |
|--|--|----------------|-------------------|---|--|---------------------------------------|------------------|
| लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन | | | | | | | |
| 1 | 03-प्रशासनिक व्यय-15-कार्यालय व्यय (केन्द्रांश) 53C24050010177010315 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 03-प्रशासनिक व्यय-17-कार्यालय उपकरण (केन्द्रांश) 53C24050010177010317 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 03-प्रशासनिक व्यय-29-व्यवसायिक सेवाएँ (केन्द्रांश) 53C24050010177010329 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050010177010649 | 1712.00 | 1712.00 | 0.00 | 406.2375 | 1078.95 | 226.8125 |
| कुल केन्द्रांश (लघु शीर्ष-101) | | 1731.20 | 1712.00 | 0.00 | 406.2375 | 1078.95 | 226.8125 |
| 1 | 06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050010177010649 | 1140.00 | 1140.00 | 0.00 | 270.825 | 719.30 | 149.875 |
| 2 | 07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050010177010759 | 30.00 | 7.00 | 6.70142 | 0.00 | 0.00 | 0.29858 |
| कुल राज्यांश (लघु शीर्ष-101) | | 1170.00 | 1147.00 | 6.70142 | 270.825 | 719.30 | 150.17358 |
| लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | | | | | | | |
| 1 | 06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050078977010649 | 376.00 | 376.00 | 0.00 | 71.73 | 87.49 | 216.78 |
| कुल केन्द्रांश (लघु शीर्ष-789) | | 376.00 | 376.00 | 0.00 | 71.73 | 87.49 | 216.78 |
| 1 | 06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050078977010649 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 47.82 | 58.33 | 143.85 |
| 2 | 07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050078977010759 | 7.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल राज्यांश (लघु शीर्ष-789) | | 257.00 | 252.00 | 2.00 | 47.82 | 58.33 | 143.85 |
| लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना | | | | | | | |
| 1 | 03-प्रशासनिक व्यय-15-कार्यालय व्यय (केन्द्रांश) 53C24050079677010315 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 03-प्रशासनिक व्यय-17-कार्यालय उपकरण (केन्द्रांश) 53C24050079677010317 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 03-प्रशासनिक व्यय-28-विज्ञापन, प्रचार और प्रसार (केन्द्रांश) 53C24050079677010328 | 15.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------|---------|---------|----------|---------|----------|
| 4 | 03-प्रशासनिक व्यय- 29-व्यवसायिक सेवाएँ (केन्द्रांश) 53C24050079677010329 | 22.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 04-मोटरगाड़ियाँ/ईंधन-41- मोटर वाहन (केन्द्रांश) 53C24050079677010441 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050079677010649 | 902.00 | 902.00 | 0.00 | 247.2165 | 652.43 | 2.3535 |
| कुल केन्द्रांश (लघु शीर्ष-796) | | 952.80 | 902.00 | 0.00 | 247.2165 | 652.43 | 2.3535 |
| 1 | 06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050079677010649 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 164.811 | 434.95 | 0.239 |
| 2 | 07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050079677010759 | 13.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल राज्यांश (लघु शीर्ष-796) | | 613.00 | 603.00 | 3.00 | 164.811 | 434.95 | 0.239 |
| सकल केन्द्रांश | | 3060.00 | 2990.00 | 0.00 | 725.184 | 1818.87 | 445.946 |
| सकल राज्यांश | | 2040.00 | 2002.00 | 11.7014 | 483.456 | 1212.58 | 294.2626 |
| कुल योग | | 5100.00 | 4992.00 | 11.7014 | 1208.64 | 3031.45 | 740.2086 |

कुल स्वीकृत राशि मो० 3031.45 लाख (तीस करोड़ इकत्तीस लाख पैतालीस हजार) रु० मात्र।

- इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे तथा भारत सरकार द्वारा विमुक्त केन्द्रांश की राशि के क्रम में समानुपातिक राज्यांश सहित राशि की निकासी डोरण्डा कोषागार से की जायेगी।
- इस योजना के तहत स्वीकृत/आवंटित राशि का व्यय Public Financial Management System (PFMS) की नई प्रक्रिया को अपनाते हुए किया जायेगा तथा इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा समय-समय पर संसूचित सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- प्रासंगिक योजना के तहत भारत सरकार के द्वारा संसूचित सभी दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।
- इस योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की मार्गदर्शिका तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्गत स्वीकृत्यादेश सं० 49 रा० (वि०) दिनांक 31.03.2021, वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्गत स्वीकृत्यादेश सं० 18 रा० (वि०) दिनांक 03.09.2021, शुद्धि पत्र सं० 65 दिनांक 31.01.2022, स्वीकृत्यादेश सं० 40 रा० (वि०) दिनांक 17.02.2022 एवं स्वीकृत्यादेश सं० 57 रा० (वि०) दिनांक 31.03.2022 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा।
- जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों का अंशदान समानुपातिक रूप से व्यय हो। योजना के कार्यान्वयन में भारत सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत के अनुदानों के अतिरिक्त शेष राशि लाभुक द्वारा स्वयं वहन की जाएगी।
- सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों का पूर्ण विवरण यथा नाम, आधार संख्या, मोबाईल नं०, बैंक खाता एवं राशि हस्तांतरण की विस्तृत जानकारी लाभुकों के अभिलेख में अंकित हों ताकि निदेशालय/भारत सरकार को पूर्ण विवरण प्रेषित किया जा सके।
- सभी जिला मत्स्य पदाधिकारियों द्वारा योजना का प्रगति प्रतिवेदन साक्ष्य सहित मत्स्य निदेशालय को प्रेषित किया जाएगा।
- इस स्वीकृत्यादेश द्वारा स्वीकृत राशि का व्यय पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश सं० 49 रा० (वि०) दिनांक 31.03.2021, स्वीकृत्यादेश सं० 18 रा० (वि०) दिनांक 03.09.2021 एवं स्वीकृत्यादेश सं० 40 रा० (वि०) दिनांक 17.02.2022 के संलग्न परिशिष्टों द्वारा स्वीकृत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय

लक्ष्यों के लिए किया जाएगा। जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों के द्वारा अपना अंशदान व्यय किया जाए। कार्य की प्रगति के अनुसार तीन किस्तों में अनुदान की राशि विमुक्त की जाएगी तथा अंतिम किस्त कार्य पूर्ण होने के बाद विमुक्त की जाएगी।

13. व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा भौतिक प्रगति का प्रतिवेदन प्रबंध निदेशक, झारखण्ड, राँची एवं मत्स्य निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा ताकि इसे भारत सरकार को नियमित रूप से भेजा जायेगा।

14. आगामी वित्तीय वर्षों में भारत सरकार से विमुक्त राशि के समानुपातिक योजना का स्वीकृत्यादेश सम्यक् योजना उद्ब्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त करते हुए, निर्गत किया जाएगा।

15. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश प्रशासनिक अनुमोदन एवं राशि विमुक्ति हेतु निर्गत पत्रों में निहित सभी शर्तों का अधरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का प्रथम स्वीकृत्यादेश (राज्यादेश सं० 49 रा० (वि०) दिनांक 31.03.2021) मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं०-सी०एस०-2/आर०-01-2005-301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के अनुपालन में योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.03.2021 को सम्मन्न बैठक में लिये गये निर्णय, जिसका संसूचन योजना-सह-वित्त विभाग के पत्रांक रा०यो०प्रा०-41 राँची, दिनांक 24.03.2021 द्वारा किया गया है एवं मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन के आलोक में निर्गत किया गया है। दिनांक 29.06.2021 को आहूत मंत्रिपरिषद् की बैठक में योजना कार्यान्वयन की घट-नोतर स्वीकृति प्राप्त है।

17. स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

19. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबकर सिद्दीख पी०)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 49 रा० (वि०) / राँची, दिनांक 23-03-2023

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :- 49 रा० (वि०) / राँची, दिनांक 23-03-2023

प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड, राँची/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य कृषि प्रशिक्षण केन्द्र, राँची एवं सभी सहायक मत्स्य निदेशक (तकनीकी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

अनुमोदित

ज्ञापांक :- 49 (T.P. 162) / राँची, दिनांक 23-03-2023

प्रतिलिपि : योजना-सह-विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/वरीय लेखा पदाधिकारी, PFMS, झारखण्ड, राँची/आ० वि० सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त/माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

3/3/23
9/3/23